संख्या-42/2016/2057/33-3-2016-227/2016

प्रेषक,

प्रदीप भटनागर,
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 01 सितम्बर, 2016

विषय: ग्राम पंचायतों में "सशक्त गांव विकसित प्रदेश" अभियान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत की भूमिका एक पृथक स्थानीय स्वशासन के रूप में है, जो कि प्रदेश सरकार की विस्तारित इकाई के रूप में प्रभावी रूप से कार्यों का सम्पादन कर रही है।

पंचायतें उपलब्ध संसाधनों से अपना विकास करें, डिजिटली सुविधासम्पन्न एवं दक्ष बनें तथा स्वयं की आय के स्रोत विकसित कर स्वावलम्बी बन प्रदेश का विकास करें। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और जन-समुदाय को जीवन की मुख्य-धारा से जोडने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिन्हें सफल बनाने में ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु योजनाओं का क्रियान्वयन और उसका सम्पूर्ण लाभ जन-समुदाय को नहीं मिल पाता है जिसका एक कारण लोंगों में जानकारी का न होना और दूसरा वरिष्ठ अधिकारियों का ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिभाग न कर पाना है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से ग्राम पंचायतों और उनके निवासियों को संवेदनशील करने, जन-सहभागिता बढ़ाने और स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने "सशक्त गॉव विकसित प्रदेश" अभियान के माध्यम द्वारा दिनांक 08 सितम्बर, 2016 से प्रारम्भ कर समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा की बैठक सुनिश्चित होने तक चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। दिनांक **08 सितम्बर, 2016** से प्रारम्भ होने वाले इस अभियान कार्यक्रम को समस्त ग्राम पंचायतों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक के आयोजन को सुनिश्चित होने तक चलाया जायेगा। इस जन-जागरूकता अभियान का उद्देश्य निम्न प्रकार से है-

1. पंचायती राज व्यवस्था को मज़बूत करना।
2. केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित समस्त सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी देना।
3. ग्राम पंचायत के विकास हेतु जन-समुदाय में सहभागिता बढाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4. ग्राम पंचायतों को समग्र विकास हेतु संवेदनशील बनाना।

5. "हमारी योजना हमारा विकास" को ग्राम पंचायत में लेकर जाना।

6. विकेन्द्रीकरण और सहभागी नियोजन की उपयोगिता को लोगों तक पहुँचाना।

7. ग्राम पंचायत केन्द्रित नियोजन द्वारा सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देना।

8. ग्राम पंचायत को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना एवं ग्राम स्वच्छता पर लोंगों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।

उपरोक्त अभियान के उद्देश्यों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं-

1. ग्राम सभा की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों के चर्चा हेतु बिन्दु- ग्राम सभा में निम्नलिखित राष्ट्रीय एवं राज्य की सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

- राज्य सरकार संचालित योजनायें- समाजवादी पेंशन योजना, लोहिया ग्रामीण आवास योजना, निःशुल्क लैपटाप वितरण योजना, संशोधित कन्या विद्या धन योजना, कामधेनु/मिनी कामधेनु डेयरी/माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना, 102 नेशनल एम्बूलेंस सर्विस, स्वास्थ्य/जननी सुरक्षा योजना, निराश्रित महिला पेंशन, किसान/वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, समाजवादी श्रवण यात्रा योजना, कब्रिस्तान एवं अन्त्येष्टि स्थलों की सुरक्षा हेतु चाहर दिवारी का निर्माण, वुमेन पावर लाईन "1090", राज्य वित्त आयोग की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्त, रानी लक्ष्मी बाई वीरता पुरस्कार योजना, बहुउद्देशीय पंचायत भवन।

- केन्द्र सरकार संचालित योजनायें- स्वच्छ भारत मिशन, 14वॉ वित्त आयोग की धनराशि के उपभोग के सम्बन्ध में मार्ग दर्शक सिद्धान्त, पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार योजना, महात्मा गॉधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजना, स्कूल चलें हम (सर्व शिक्षा योजना), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ई-पंचायत। साथ ही ग्राम पंचायत विकास योजना "हमारी योजना हमारा विकास" की निर्माण प्रक्रिया के 10 चरणों यथा- ग्राम पंचायत रिर्सोस ग्रुप की बैठक का आयोजन, ग्राम सभा का आयोजन, पारिस्थितिक विश्लेषण, ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन, ग्राम सभा की परिकल्पना एवं मुद्दों का प्राथमिकीकरण करना, ग्राम पंचायत विकास योजना का ड्राफ्ट प्लान तैयार करना, परियोजना निर्माण, ग्राम पंचायत कमेटी की बैठक, ग्राम पंचायत विकास योजना का ग्राम सभा से अनुमोदन, योजना का क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर भी विस्तार से चर्चा हो। ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया को विस्तार से समझाने के लिए जिला रिर्सोस ग्रुप जिसके सदस्य ग्राम पंचायत विकास योजना के मास्टर ट्रेनर हैं, की सहायता ली जा सकती है।

2. ग्राम सभा की बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिभाग का निर्धारण- अभियान के सफल क्रियान्वयन हेतु जनपद की समस्त ग्राम सभाओं की बैठकों का निर्धारण इस प्रकार से किया जायेगा कि समस्त ग्राम सभाओं की बैठक में निम्न में से कोई एक अधिकारी अवश्य प्रतिभाग करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

I. जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य राजस्व अधिकारी, समस्त अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट, सप्ताह में एक बार बृहस्पतिवार के दिन न्यूनतम पॉच ग्राम सभाओं में प्रतिभाग करेंगें। किसी अपरिहार्य स्थिति से निपटने हेतु उक्त दिवस एक अपर जिलाधिकारी जनपद मुख्यालय में अवश्य उपलब्ध रहेंगें। बृहस्पतिवार को प्रातः 10:00 से अपराह्न 12:00 बजे तक कार्यालय में बैठने की अनिवार्यता समाप्त की जाती है।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा शासन स्तर से विकास कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु जनपदों के लिए नामित नोडल अधिकारी के रूप में प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव भी ग्राम सभा की बैठक में इस अभियान के दौरान प्रतिभाग करेंगें।

III. मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा अपनी सुविधानुसार किसी एक ग्राम सभा की बैठक में प्रतिभाग किया जायेगा जिसकी सूचना पूर्व में सम्बन्धित जिलाधिकारी को दी जायेगी।

3. ग्राम सभाओं में बैठक का निर्धारण- अभियान हेतु जनपदों में जिलाधिकारी द्वारा कार्यक्रम का रोस्टर तैयार कराया जायेगा (रोस्टर हेतु परिशिष्ट-1 पर संलग्न प्रारूप का संदर्भ लिया जा सकता है) जिसमें अधिकारियों के ग्राम सभा में प्रतिभाग करने का पूर्ण विवरण होगा। अभियान के दौरान जिलाधिकरी एवं अन्य नामित अधिकारियों द्वारा सप्ताह में बृहस्पतिवार के दिन कम से कम 5 ग्राम सभाओं में प्रतिभाग किया जायेगा तथा शेष ग्राम सभाओं में प्रतिभाग करने की जिम्मेदारियों का इस प्रकार निर्धारण किया जाये कि प्रत्येक ग्राम सभा में किसी न किसी अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित हो। अभियान के बेहतर क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया है-

क्र0 सं0	कार्य	जिम्मेदार अधिकारी
1.	अभियान का नियोजन, निर्देशन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	जिलाधिकारी
2.	अभियान का क्रियान्वयन एवं समस्त विभागों एवं संस्थाओं में समन्वयन	मुख्य विकास अधिकारी
3.	जनपद स्तर पर अभियान संबंधी दस्तावेजों का संकलन	जिला पंचायत राज अधिकारी

4. अभियान के दौरान होने वाली सभी गतिविधियों का दस्तावेजीकरण किया जायेगा तथा उसे विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जनपद के मुख्य विकास अधिकारी की होगी।

5. वेबसाइट पर जानकारी अपलोड करने हेतु व्यवस्था निदेशक, पंचायती राज के स्तर से करायी जायेगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में आयोजित ग्राम सभा का दस्तावेजीकरण (वीडियो/रिपोर्ट) किया जाये, उसकी एक प्रति जनपद को उपलब्ध करायी जाये तथा जनपद द्वारा प्राप्त प्रतियों में से कुछ चुनी हुई प्रतियों को निदेशालय, पंचायती राज को उपलब्ध कराया जाये।

अतः अनुरोध है कि इस जन-जागरूकता अभियान के अन्तर्गत आयोजित होने वाली गतिविधियों और कार्यक्रमों के संचालन के लिए अपने जनपद का एक कार्यक्रम तैयार कर लें और प्रत्येक गतिविधियों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

को समाहित करते हुए कार्यक्रम की रिपोर्ट भी तैयार कराते हुए इस जन-जागरूकता अभियान को अपने जनपद में मनाया जाना सुनिश्चित करें। अभियान संबंधी दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये तथा आयोजित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रिपोर्ट (चित्रों सहित) पंचायती राज निदेशालय के ई-मेल (up.panchayatiraj@gmail.com एवं panchraj@nic.in) पर भी भेजें।

भवदीय,

(प्रदीप भटनागर)
कृषि उत्पादन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या- /33-3-2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. श्रीमती शारदा मुरलीधरन, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
4. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
5. प्रमुख सचिव, कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग,उ0प्र0 शासन को इस आशय से साथ कि स्वयं के स्तर से निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
6. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. शासन।
8. आयुक्त/ निदेशक, उ0प्र0 कानपुर नगर/श्रमायुक्त, उ0प्र0 कानपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आई0डी0सी0, कानपुर।
10. सदस्य राजस्व परिषद्, उ0प्र0।
11. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वित्तीय निगम, कानपुर।
12. मिशन निदेशक, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, उ.प्र.।
13. आयुक्त, ग्राम्य विकास/परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
14. निदेशक, मिड-डे मील योजना, उ0प्र0, लखनऊ।
15. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
16. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ.प्र.।
17. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं.), उ.प्र.।
18. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ.प्र.।

आज्ञा से,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

परिशिष्ट-1

ग्राम पंचायतों में "सशक्त गॉव विकसित प्रदेश" अभियान के क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तरीय कार्यक्रम के विवरण का प्रारूप

क्र0सं0	जनपद का नाम	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम सभा आयोजन का विषय	ग्राम सभा आयोजन की तिथि	ग्राम सभा में प्रतिभाग करने वाले अधिकारी का नाम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।